न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 115/2024 निर्णय दिनांक: 11.05.2026
ऑनलाईन नंबर 2024/241

1.ओमप्रकाश पुत्र स्व. गंगाराम जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 2. जसराम पुत्र स्व. गंगाराम जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. जीवणीदेवी पत्नी स्व. गंगाराम जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 2. प्रेमसुख पुत्र स्व. गंगाराम जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 3. मुली पुत्री स्व. गंगाराम पत्नी लेखराम जाति जाट निवासी उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 4. मोहिनी पुत्री स्व. गंगाराम पत्नी दीपाराम जाति जाट निवासी करमीसर तहसील व जिला बीकानेर 5. राम कुमार पुत्र स्व. गंगाराम जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 6. रामदयाल पुत्र स्व. गंगाराम जाति जाट निवासी सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 7. शांति पुत्री स्व. गंगाराम पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी करमीसर तहसील व जिला बीकानेर 8. शारदा पुत्री स्व. गंगाराम पत्नी प्रभूदयाल जाति जाट निवासी उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 10. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री राजूराम बाना अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1ता 8
3. श्री राजूराम जाखड अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 10
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनके पिता/पति स्व. गंगाराम जाट की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 120 तादादी 15.490 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 23 तादादी 13.250 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 272 तादादी 9.1100 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 41 तादादी 7.1800 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 457/109 तादादी 1.26 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 458/109 तादादी 13.380 हैक्टेयर रोही मौजा सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में स्थित रहें हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के पिता/पति स्व. गंगाराम जाट के जीवनकाल में ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने स्व. गंगाराम जी की खातेदारी के वादगत खेतों का आपसी सहमति से विभाजन कर लिया था जिसकी एक लिखापढी दिनांक 21.03.2021 को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य लिखी जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर से सम्पन्न की हुई हैं । मुताबिक विभाजन प्रार्थी संख्या 1 ओमप्रकाश के हिस्से में वादगत खेत खसरा नम्बर 272 की सम्पूर्ण तादादी 9.11 हैक्टेयर यानि 36 बिघा कृषि भूमि व उसमें बना कृषि ट्यूबवेल मय कृषि विद्युत कनेक्शन, व खसरा नम्बर 23 (भोजाण) तादादी 13.250 हैक्टेयर में से 1.40 हैक्टेयर यानि 5 बिघा 10 बिस्वां कृषि भूमि, व खसरा नम्बर 41 (ठुकराली) तादादी 7. 1800 हैक्टेयर में से 1.40 हैक्टेयर यानि 5 बिघा 10 बिस्वां कृषि भूमि कुल 11.85 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

यानि 47 बिघा कृषि भूमि रखी गयी हैं एवं इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 जसाराम के हिस्से में वादगत खेत खसरा नम्बर 23 (भोजाण) तादादी 13.250 हैक्टेयर में से कुल 11.85 हैक्टेयर यानि 47 बिघा कृषि भूमि मय कृषि ट्यबवैल मय कृषि विद्युत कनेक्शन रखी गयी हैं एवं इसी प्रकार अप्रार्थी रामदयाल के पक्ष में खेत खसरा नम्बर 457/109 व खसरा नम्बर 458/109 (करमचन्द) में से 47 बिघा कृषि भूमि, अप्रार्थी रामकुमार के पक्ष में खसरा नम्बर 41 (ठुकराली) की शेष 23 बिघा कृषि भूमि व खसरा नम्बर 120 (भेडाली) में से 24 बिघा कृषि भूमि कुल 47 बिघा कृषि भूमि दी गयी व चूंकि अप्रार्थी रामकुमार के हिस्से मे ट्यूबवैल नही आने के कारण उसे घर हिस्सा पांति में दिया गया, इसी प्रकार अप्रार्थी प्रेमसुख के पक्ष में 457/109 व खसरा नम्बर 458 /109 (करमचन्द) में से 10 बिघा 10 बिस्वां कृषि भूमि व खसरा नम्बर 120 (भेडाली) में से 36 बिघा 10 बिस्वां कृषि भूमि कुल 47 बिघा कृषि भूमि दे दी गयी व चूंकि अप्रार्थी प्रेमसुख के हिस्से में भी ट्यूबवैल नही आने के कारण उसे बीस लाख रूपयें नगदी दिये गये जो पन्द्रह लाख नगदी व पांच लाख रूपयें बैंक खाता में जमा करवाये गये है। प्रार्थीगण की बहनों अप्रार्थी संख्या 3,4,7,8 को प्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पति मे हिस्सा पांति के रूप मे नगदी, जेवरात आदि दे दिये थे और उन्होनें अपने हिस्सा की भूमि का मौखिक रूप से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2,5,6 के पक्ष में परित्याग कर दिया था। इसी प्रकार प्रार्थीगण की माता ने भी अपना हिस्सा मौखिक रूप से अपने पुत्रो के पक्ष में परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वादगत खेतों में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2,5,6 का मुताबिक विभाजन लिखापढी दिनांकित 21.03.2021 के अनुसार मौका पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है प्रार्थीगण ने अपने हिस्से पांति मे आये खेतों में रिहायशी पक्की ढाणी बना रखी हैं तथा अपने हिस्से पांति की कृषि भूमि को काश्त करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहें है । प्रार्थीगण के पिता गंगाराम जाट की मृत्यु होने के बाद प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को मुताबिक विभाजन लिखापढी के अनुसार भूमियों का राजस्व रिकार्ड मे नामान्तरकरण दर्ज करवा लेने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ने कहा कि हमने जानकारी कर ली हैं, पहले भूमि सभी वारिसान के नाम दर्ज होगी, उसके बाद पूर्व में हुए विभाजन लिखापढी के अनुसार परित्याग करवाकर भूमि राजस्व रिकार्ड में अलग अलग करवा लेंगे। अप्रार्थीगण ने वादगत खेतों का विरास्तन नामान्तरकरण संख्या 644 दिनांक 24.05.2024 को दर्ज करवा लिया तब प्रार्थीगण ने उसी दिन अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 से मुताबिक विभाजन लिखापढी के भूमियां राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर अलग अलग करवा लेने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 स्पष्ट इंकार हो गये और प्रार्थीगण को धमकी दी कि, विभाजन की मुल लिखापढी हमारे पास हैं, हमे तो खेतों का विरास्तन इंतकाल दर्ज करवाना था वो हमने करवा लिया हैं, अब हम पूर्व में हुई लिखापढी को नही मानते और आपको वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा से अधिक भूमि नही लेने देगें और आपको पिताजी के जीवनकाल में लिखापढी करके दी गयी हिस्से पांति व कब्जा काश्त की भूमि ढाणी से बेदखल करके खेतों को अच्छी किमत में अजनबी व्यक्तियों को बेच देगें और आपके खेत की फसल नष्ट कर देगें । प्रार्थीगण का वादगत खेतों में पूर्व में हुई विभाजन लिखापढी दिनांक 21.03.2021 के अनुसार मौका पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। अप्रार्थीगण ने मुताबिक विभाजन लिखापढी के भूमियां राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से इंकार करके प्रार्थीगण को पूर्व में हुई लिखापढी को नही मानने और प्रार्थीगण के हिस्से पांति व

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कब्जा काश्त की भूमि ढ़ाणी से बेदखल करके खेतों को अच्छी किमत में अजनबी व्यक्तियों को बेच देने व प्रार्थीगण के खेत की फसल नष्ट कर देने की धमकी दी है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण के पास विभाजन लिखापढी दिनांकित 21.03.2021 के अनुसार खातेदारी की घोषणा करवाकर, खाता विभाजन करवाने व अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही बचा है । जैसा कि अप्रार्थीगण ने धमकी दी हैं, अगर अप्रार्थीगण अपने गलत मन्तव्यो में सफल हो गये तो प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की कृषि भूमियो से वंचित हो जावेगें और प्रार्थीगण को भारी असुविधा के साथ अपूरणीय क्षति होगी । वादगत खेतों में वादीगण की विभाजन लिखापढी दिनांक 21.03.2021 के अनुसार प्राप्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता हैं एवं सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान् जी से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वह खेत खसरा नम्बर 120 तादादी 15.490 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 23 तादादी 13.250 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 272 तादादी 9.1100 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 41 तादादी 7.1800 हैक्टेयर खेत खसरा नम्बर 457/109 तादादी 1.26 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 458/109 तादादी 13.380 हैक्टेयर रोही मौजा सूडसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में प्रार्थीगण के पूर्व में हुई विभाजन लिखापढी दिनांक 21.03.2021 के अनुसार मौका पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में चली आ रही कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नही करें, प्रार्थीगण के हिस्सा पांति में चली आ रही भूमि में प्रवेश नही करें, वादगत कृषि भूमि को वर्तमान राजस्व रिकार्ड का बैजा फायदा उठाकर उसका कोई हिस्सा रहन बैय मुन्तकिल नही करें, तथा प्रार्थीगण के हिस्सा पांति मे काश्त की हुई फसल को नुकसान कारित नही करे, खुर्द बुर्द नही करे, ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य नही करे ना ही किसी अन्य दीगर शख्स से करावें जिससे प्रार्थीगण के वैध अधिकारों पर विपरीत असर होता हो । अप्रार्थीगण तादावा फैसला मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 व 10 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज उपस्थित। उभयपक्षकरान द्वारा बहस का निवेदन किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादगत खेत प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का 263/2210 हिस्सा एवं प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 का प्रत्येक का 649/6630 हिस्सा स्थित है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 के हिस्से अनुसार ही हिस्से पांती में आये हुए है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 120 तादादी 15.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23 तादादी 13.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 272 तादादी 9.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 तादादी 7.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 457/109 तादादी 1.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 458/109 तादादी 13.3800 हैक्टेयर रोही सूडसर में स्थित है। जो आपस में बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस हिस्से पांती में आये हुए है। आपसी विभाजन के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रत्येक खसरानो मे प्रत्येक खातेदार को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार विभाजन किया हुआ है। वादगत खेतो में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 का हिस्सा दर्ज है उसी अनुसार कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के लगातार चला आ रहा है । प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 अस्वीकार है । वादगत खेतो की खातेदारी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के विरास्तन में प्राप्त हुई है जिन पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 का दर्ज हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादगत खेतो के सम्बन्ध में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 के मध्य किसी भी प्रकार की लिखापढी नही हुई है वादगत खेतो को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीण अदल बदल कर काश्त करते चले आ रहे है। सभी खसरानो में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 का समान हिस्सा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 263/2210 हिस्सा है जो प्रत्येक अपने अपने हिस्से में काश्त की हुई है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से पांती के अनुसार विभाजन करवाने किसी भी प्रकार की बातचीत नही हुई प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार विभाजन करवाने के लिए किसी भी प्रकार बातचीत नही हुई इसलिए अप्रार्थी द्वारा इंनकारी का प्रश्न ही पैदा नही होता है प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदारी होने से प्रार्थी को निषेधाज्ञा का वादहेतु प्राप्त नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का संयुक्त खातेदार दर्ज है संयुक्त खातेदार अपने हिस्से अनुसार विभाजन करवाने के लिए सहमत है प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण सहखातेदार होने से किसी भी प्रकार का असुविधा एवं क्षति नही होगी प्रार्थीगण को सहखातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है वादगत खेतो के प्रतिवादीगण सहखातेदार होने एवं कब्जा काश्त हिस्से पांती के अनुसार होने से पृथमदृष्टया मामला, सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को हो रही है प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को उनके खातेदारी अधिकारो से वंचित करना चाहते है अप्रार्थीगण सहखातेदार होने एवं कब्जा काश्त लगातार चला आने से प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार का अप्रार्थीगण को अपने बैध खातेदारी अधिकारो से अप्रार्थीगण के अधिकारो पर विपरीत असर हो रहा है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी के नाम से सयुक्त खातेदारी दर्ज है एवं हिस्सा अनुसार ही मौके पर कब्जा काश्त कायम है अप्रार्थी द्वारा अपने हिस्से में टयूबैल का निर्माण किया हुआ है। एवं अपने हिस्से मकान बनाकर निवास कर रहे है अप्रार्थी का कब्जा काश्त खातेदारी हक हिस्सा के अनुसार कायम है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में गलत तथ्यो का वर्णन कर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है काबिल खारिज है अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से एवं कब्जा काश्त में टयूबैल बनाकर काश्त किया जा रहा है अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त अपने हिस्से के अनुसार कायम है एवं अपने हिस्से में मकान बनाकर निवास कर रहे है प्रार्थीगण द्वारा सहखातेदार के विरूद्व घोषणा एवं निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र कथित लिखा पढी के आधार पर पे पेश किया है जो सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने के कारण एवं प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व होने के कारण काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का अपने अपने हिस्से अनुसार अलग अलग कब्जा काश्त है अप्रार्थीगण सहखातेदार होने से अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो पर निषेधाज्ञा प्राप्त नही की जा सकती प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। अप्रार्थीगण सहखातेदार है प्रार्थी को किसी भी प्रकार का नुकशान नही हो रहा है। न ही किसी भी प्रकार की क्षति कारित हो रही है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार अप्रार्थीगण सहखातेदार होने से सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। कि अप्रार्थीगण सहखातेदार सहखातेदार होने से एवं अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकारों से रोके जाने से अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को कारित होगी । अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त अपने हक हिस्से में होने से सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थीगण का खातेदारी हक हिससे अनुसार कब्जा काश्त होने से पृथमदृष्टया मामला भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः जबाबप्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थना पत्र अपूरणीय क्षति, प्रथमदृष्टया मामला एंव सुविधा का सन्तुलन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के सर्मथन में माननीय न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवन्यू राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त 2020 डीएनजे (रेवन्यू) 291 जसकरण वगै. बनाम बलजीत कौर वगै. पेश की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 10 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादगत खेत खसरा नम्बर 120 तादादी 15.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 23 तादादी 13.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 272 तादादी 9.1100 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 41 तादादी 7.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 457/109 तादादी 1.2600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 458/109 तादादी 13.3800 हैक्टेयर वाकेरोही सुडसर की भूमि अप्रार्थी संख्या 10 बैंक के यंहा रहन चली आ रही है इसलिये प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 को उक्त खरारान की भूमि को रहनमुक्त करवाने से पूर्व किसी भी प्रकार से न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई कानूनन अधिकार हासिल नही है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगणव अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 को वादगत खेत खसरा नम्बर 120, 23, 272, 41, 457/109 व 458/109 के संबंध में कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है जिसके आधार पर वो न्यायालय से किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त कर सके क्योंकि वादगत खसरान की उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 10 बैंक का ऋण वर्तमान में बकाया चला आ रहा है जब तक वादगत भूमि को रहनमुक्त नही कर दिया जाता तब तक उक्त भूमि पर मालिकाना अधिकार अप्रार्थी संख्या 10 बैंक का हैं तथा बैंक की अनुमति के बिना प्रार्थीगणो को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनन अधिकार हासिल नही है प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें यदि प्रार्थीगण सफल हो जाता है तो बैंक का हित प्रभावित होता है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व क्षति का सिद्धांत नही बनता है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकरान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया। प्रार्थी/वादी द्वारा दिनांक 21.03.2021 को एक अपंजीकृत बंटवारानामा पेश किया गया है जिसमें वादीगण/ प्रार्थीगण द्वारा उक्त बंटवारानामा अपने पिता के जीवनकाल में ही किया जाने का अंकन किया गया है परन्तु उक्त बंटवारानामा में वादीगण/ प्रार्थीगण के पिता स्व. गंगाराम के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही अंगूठा लगा हुआ है। स्व. गंगाराम की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि स्वं. गंगाराम के वारिसान के नाम ब.हि.ब हिस्सा खातेदारी दर्ज हुई है। वर्तमान में अप्रार्थीगण वादगत खसरान भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार है एवं रिकार्डे सहखातेदार के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीयक्षति का सिद्धान्त बनना साबित नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ